"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2002—श्रावण 9, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2002

क्रमांक 5031.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-7-2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुराधा खरे**, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2002)

# भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2001

**सार्वजनिक सड़कों और पुलों पर सरकार द्वारा पथकर का उद्ग्रहण करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1932 (1932 का संख्यांक 8) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारंभ.**

1. (1) इस विधेयक का नाम भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 25 सन् 2002) है.

(2) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होगा.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1932 की धारा 2 में संशोधन.**

2. भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 8 सन् 1932) की धारा 2 में शब्द ''पंद्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए'' के स्थान पर शब्द ''तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए'' स्थापित किये जाएं.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2002

क्रमांक 5031.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 25 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 25 of 2002)

## THE INDIAN TOLLS (CHHATTISGARH AMENDMENT) ADHINIYAM, 2001

**An act to further amend the Indian tolls Act, 1932 (No. 8 of 1932) in its application to the State of Chhattisgarh to the levy of tolls by Government on public roads and bridges in the State of Chhattisgarh.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

**Short title and Commencement.**

1. (1) This act may be called the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 2001 (No. 25 of 2002).

(2) This shall be applicable in the entire State of Chhattisgarh.

(3) It shall come in to force on such date as the State Government may, by notification appoint.

**Amendment of Section 2 of the Act No. 8 of 1932.**

2. In Section 2 of the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 (No. 8 of 1932) words "for such longer period not exceeding fifteen years" the words "for such longer period not exceeding thirty years" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.